विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में तीन निष्पादन लेखापरीक्षा सहित 37 कंडिकायें सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 368.07 करोड़ की राशि अंतर्निहित है। विभागों/शासन ने ₹ 54.64 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है जिसमें से ₹ 5.94 लाख की वसूली की जा चुकी है । कुछ मुख्य निष्कर्षों का उल्लेख नीचे किया गया है:

I. सामान्य

विगत वर्ष में ₹ 70,427.28 करोड़ के विरूद्ध, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ ₹ 74,593.01 करोड़ थीं । इस राशि का 54 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा कर राजस्व (₹ 32,342.12 करोड़) तथा कर–भिन्न राजस्व (₹ 7,704.93 करोड़) के रूप में वसूल किया गया । शेष 46 प्रतिशत भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹ 22,715.14 करोड़) तथा सहायक अनुदान (₹ 11,776.82 करोड़) के रूप में प्राप्त हुआ ।

(कंडिका 1.1.1)

वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मोटर वाहन कर, मुद्रांक एवं पंजीयन फीस, भू–राजस्व, तथा खनन प्राप्तियों की 376 इकाईयों के अभिलेखों की वर्ष 2013–14 के दौरान की गई नमूना जाँच में 5,64,313 प्रकरणों में ₹ 1267.93 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/कम आरोपण/हानि का पता चला । वर्ष के दौरान संबंधित विभागों द्वारा 1,39,791 प्रकरणों में ₹ 526.24 करोड़ के कम आरोपण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया गया जो कि वर्ष 2013–14 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये थे। विभागों द्वारा इस वर्ष के लेखापरीक्षा निष्कर्षों के आधार पर 1,042 प्रकरणों में ₹ 10.03 करोड़ की वसूली भी की गई।

(कंडिका 1.10)

II. वाणिज्यिक कर

''मध्य प्रदेश वैट अधिनियम, 2002 की धारा 14 के तहत इनपुट टैक्स की छूट'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि :

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम और नियम, आगत कर रिबेट के प्रावधानों की कमियों और प्रावधानों के उल्लंघन के कारण 115 मामलों में ₹ 16.97 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनियमित छूट ।

(कंडिका 2.4.8.1 से 2.4.8.4)

कर निर्धारण अधिकारी द्वारा निर्देशों का अनुपालन किये बिना छह डीलरों के छह मामलों में खरीद के ब्योरे के बिना पुष्टि किये राशि ₹ 3.69 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनुमति प्रदान की ।

(कंडिका 2.4.8.5)

मध्य प्रदेश वैट अधिनियम की धारा 14(क) के दिशा निर्देशों के अनुरूप रिटर्न दाखिल किये बिना 26 डीलरों के 28 मामलों में ₹ 2.28 करोड़ का अमान्य आगत कर रिबेट ।

(कंडिका 2.4.8.6)

खरीद बिल/खरीद विवरण/खरीद सूची के अभाव में 77 डीलरों के 78 मामलों में ₹ 29.18 करोड़ के आगत कर रिबेट की स्वीकृति/अनुमोदन ।

(कंडिका 2.4.9)

19 डीलरों के 19 मामलों में पिछले वर्ष के आईटीआर ₹ 1.81 करोड़ अनियमित रूप से अगले वर्ष में समायोजित किये गये। हालांकि चालू वर्ष में डीलरों द्वारा अपनी पहली तिमाही की विवरणों में आईटीआर का दावा नहीं किया गया था ।

(कंडिका 2.4.10.1)

13 डीलरों के 13 मामलों में मध्य प्रदेश वैट अधिनियम 2002 की धारा 14(6) के तहत आगत कर के लिए अपात्र माल की खरीद पर ₹ 2.40 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनियमित स्वीकृति ।

(कंडिका 2.4.11.1 से 2.4.11.3)

विनिर्माण प्रक्रिया में सह–उत्पाद के रूप में प्राप्त कर मुक्त वस्तुओं की बिक्री पर 13 डीलरों के 13 मामलों में ₹ 26.65 लाख शास्ति सहित राशि ₹ 38.65 लाख के आगत कर रिबेट की अनियमित स्वीकृति ।

(कंडिका 2.4.11.4)

नौ डीलरों के नौ मामलों में राज्य से बाहर, बिक्री के स्थान पर, स्टॉक ट्रान्सफर के माध्यम से स्थानांतरित किये गए माल पर शास्ति राशि ₹ एक करोड़ सहित ₹ 1.34 करोड़ के आगत कर रिबेट की अनियमित स्वीकृति ।

(कंडिका 2.4.11.5)

III. राज्य उत्पाद शुल्क

शासन द्वारा खुदरा अनुज्ञप्तिधारियों को अनुचित लाभ दिया गया जिसके परिणाम स्वरूप 34 जिलों में 709 विदेशी मदिरा की दुकानों से ₹ 39.83 करोड़ के बेसिक लाइसेंस फीस की कम वसूली हुई।

(कंडिका 3.5)

निर्धारित शुल्क प्राप्त किये बिना/पर्याप्त बैक गारंटी प्राप्त किये बिना निर्यात/परिवहन की अभिस्वीकृति देने के परिणामस्वरूप ₹ 14.41 करोड़ की वसूली नही हुई।

(कंडिका 3.6)

शासन ने 6 विनिर्माताओं पर ₹ 3.75 करोड़ की शास्ति तो आरोपित की लेकिन भू–राजस्व की तरह बकाया की वसूली के कोई प्रयास नही किये गये।

(कंडिका 3.7)

स्पिरिट एवं विदेशी मदिरा के स्टॉक के निराकरण की कार्यवाही नहीं होने के कारण ₹ 71.96 लाख आबकारी शुल्क की प्राप्ति न होना।

(कंडिका 3.8)

IV. वाहनों पर कर

''मंजिली गाडी/ठेका गाडी अनुज्ञापत्र पर चलित लोक सेवा वाहनो पर कर का आरोपण एंव संग्रहण'' पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि :

अपने विनिर्माण वर्ष से 15 वर्ष का जीवनकाल पूरा कर चुके 75 वाहनों को मंजिली गाडी अनुज्ञापत्र पर चलने से प्रतिबंधित करने में विभाग असफल रहा।

(कंडिका 4.4.7.1)

चूककर्ता वाहन स्वामियों के विरूध्द कोई कार्यवाही न करने के परिणामस्वरूप 270 वाहनों से ₹ 3.73 करोड़ की शास्ति सहित ₹ 7.28 करोड़ के कर का कम आरोपण विभाग द्वारा किया गया ।

(कंडिका 4.4.7.3)

कर की गलत दर लागू किये जाने के बारे में पता लगाने में कराधान प्राधिकारी विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप 215 वाहनों पर ₹ 1.22 करोड़ के कर के अलावा ₹ 1.28 करोड़ की शास्ति आरोपित नही की जा सकी।

(कंडिका 4.4.7.4)

ऐसे वाहन जिनके उपयुक्तता प्रमाणपत्र अतिदेय हो चुके थे, के पंजीकरण रद्द करने के संबंध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई।

(कंडिका 4.4.7.7)

115 वाहनों के विरूध्द जारी किये गये ₹ 1.52 करोड़ के राजस्व वसूली मांग पत्रों के प्रकरणों में विभाग अनुवर्ती कार्यवाई करने में असफल रहा।

(कंडिका 4.4.7.8)

कराधान प्राधिकारियों द्वारा 16,562 वाहनों में से 1,553 वाहनों के चूककर्ता वाहन स्वामियों से कर वसूली की कार्यवाही नही करने के परिणामस्वरूप ₹ 2.69 करोड़ शास्ति सहित ₹ 6.87 करोड़ के मोटर वाहन कर की प्राप्ति नही हुई।

(कंडिका 4.6.1)

जारी किये गये व्यापार प्रमाण पत्रों के विरूद्व बेचे गये वाहनों की वास्तविक संख्या सुनिश्चित नही किये जाने के परिणामस्वरूप व्यापार फीस ₹ 2.19 करोड़ की अवसूली/ कम वसूली हुई।

(कंडिका 4.8)

V. भू–राजस्व

ग्राम डोंगरपुर (ग्वालियर) स्थित 24.658 हेक्टेअर भूमि पर गलत दर लागू करने से प्रीमियम एवं भू–भाटक का अवनिर्धारण ₹ 91.75 करोड़।

(कंडिका 5.5)

तहसील कार्यालयों द्वारा संग्रहीत भू–राजस्व एवं उपकर की राशि ₹ 2.26 करोड़ मुख्य शीर्ष "0029" भू–राजस्व के अंतर्गत कोषालय में जमा करने के बजाय पंचायत निधि में जमा की गई।

(कंडिका 5.6)

VI. मुद्रांक एवं पंजीयन फीस

मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस के निर्धारण एवं संग्रहण पर निष्पादन लेखापरीक्षा पर निष्पादन लेखापरीक्षा से पता चला कि :

खदानों की औसत वार्षिक रायल्टी के त्रुटिपूर्ण निर्धारण के कारण ₹ 40.13 करोड़ के मुद्रांक एवं पंजीयन शुल्क का कम आरोपण किया गया।

(कण्डिका 6.2.10)

विभाग की निष्क्रियता के कारण मोबाइल टावरों के पट्टा विलेखों का पंजीयन नहीं कराया गया जिससे 44 प्रकरणों में ₹ 13.92 लाख के मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण किया गया।

(कण्डिका 6.2.11)

विभाग द्वारा भूमि के विकास के लिये अनुबंध गलत दर पर निष्पादित किये गये जिसके कारण ₹ 33.63 लाख के मुद्रांक शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(कण्डिका 6.2.12)

बाजार मूल्य के गलत निर्धारण एवं संदर्भित प्रकरणों के निराकरण नही किये जाने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 13.69 करोड़ का कम आरोपण हुआ।

(कण्डिका 6.2.13)

मुख्तारनामा विलेखों एवं दस्तावेजों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण के कारण ₹ 1.22 करोड़ का मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण किया गया।

(कण्डिका 6.2.14 एवं 6.2.15)

आदिवासी व्यक्तियो की ₹ 11.24 करोड़ की भूमि को गैर आदिवासी व्यक्तियो को ₹ 3.60 करोड़ में बेचने के कारण मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस ₹ 21.49 लाख का कम आरोपण हुआ। विभाग आदिवासियों के हितों को सुरक्षित रखने में भी विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप उन्हें ₹ 7.64 करोड़ के भूमि के मूल्य की भी हानि हुई।

(कण्डिका 6.2.17)

भूमि विकास अनुबंधों के 24 प्रकरणों का पंजीयन नही कराने के परिणामस्वरूप ₹ 9.69 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का अनारोपण/कम आरोपण किया गया।

(कण्डिका 6.2.18)

विकास के 99 प्रकरणों में विकास व्यय पर बंधक विलेखों के अवमूल्यन के परिणामस्वरूप ₹ 10.23 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस का कम आरोपण/अनारोपण किया गया।

(कण्डिका 6.2.19)

VII. खनन प्राप्तियाँ

625 उत्खनि पट्टाधारियों में से 107 उत्खनि पट्टाधारियों से अनिवार्य किराये की कम/अवसूली ₹ 3.05 करोड़।

(कंण्डिका 7.5)

107 प्रकरणों में 43 ठेकेदारों से संविदा राशि की वसूली न होना/कम वसूली होना ₹ 3.01 करोड़।

(कंण्डिका 7.7)

जिला खनिज अधिकारियों द्वारा विवरणों की जाँच न किये जाने के परिणामस्वरूप राज्यांश की कम वसूली ₹ 1.30 करोड़।

(कंण्डिका 7.8)

औसत वार्षिक राज्यांश के अवनिर्धारण एवं अनुबंधों को कम मूल्य के स्टाम्प पर निष्पादित किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 17.36 करोड़ के मुद्रांक शुल्क एवं पंजीयन फीस की कम वसूली हुई।

(कंण्डिका 7.12)